अनुसूचि 14 फार्म सं0–162

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

दुर्गा हाँसदा
बनाम
16 आना रैयत
मौजा– राधा किशनपुर न0–02

आदेश–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख..जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 18/2019–20

आदेशकी कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
31.8.19	अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 611/रा0 दिनांक 24.07.2019 के द्वारा मौजा– राधा किशनपुर, न0–02 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– राधा किशनपुर, न0–02 में दिनांक 15.07.2019 को श्री चुण्डा हाँसदा के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री दुर्गा हाँसदा, पिता–स्व0 पिथो हाँसदा, ग्राम– राधा किशनपुर, को मौजा– राधा किशनपुर, न0–02 में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– राधा किशनपुर, न0–02 एक प्रधानी मौजा है। जिसके पूर्व प्रधान श्री पिथो हाँसदा थे। जिनकी मृत्यु 24.05.2017 को हो गयी है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री दुर्गा हाँसदा, पिता–स्व0 पिथो हाँसदा, ग्राम–राधा किशनपुर थाना–तालझारी, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है। श्री दुर्गा हाँसदा पूर्व प्रधान स्व0 पिथो हाँसदा की ज्येष्ठ पुत्र है। पूर्व से ही ग्राम में होने वाले किसी भी सार्वजनिक जन हित कार्यो में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेकर सम्पादन करते है। अतएव श्री दुर्गा हाँसदा प्रधान बनने योग्य है। अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक श्री दुर्गा हाँसदा को मौजा– राधा किशनपुर, थाना न0–02 में सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। ज्ञापांक 337/रा0 दिनांक 1.8.19 अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	